

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

70/2025

श्री रविन्द्र कुमार शर्मा निवासी 26 शांति पथ, त्रिवेणी नगर गोपालपुरा जिला जयपुर
राज. - अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 01.10.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 662 दिनांक 07.07.2025 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलान्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-


यह कि पंचायत मतदाता सूची पंचायत सर्किल- चांदसेन पंचायत समिति-मालपुरा जिला टोंक की सन् 1987 से सन् 1995 तक की मतदाता सूची की सत्यप्रति उपलब्ध कराने का निवेदन है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयवाधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा०पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक को पत्र क्रमांक 1607 दिनांक 13.08.2025, 1690 दिनांक 28.08.2025, 1798 दिनांक 11.09.2025 व 1881 दिनांक 26.09.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



719


(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर
एवं जिला कलेक्टर टोंक